प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश उर्फ लवेश पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-2376/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022), दिनांक-24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश उर्फ लवेश पुत्र श्री वीर सिंह, जो-ख्वाजपुर, थाना-औरंगाबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। कुआ में बोरिंग व बिजली कनेक्शन तथा पानी न लेने देने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.06.2001 को बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार व तमन्चें से गोली मारकर गोपाल, हरिकृष्ण व कृष्णपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 1140/2002 में भा०द०वि० की धारा-148, 324/149, 457, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, बुलन्दशहर के आदेश दिनाक 22.08.2006 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.03.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.11.2022 तक 20 वर्ष, 05 माह, 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 04 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा जनपद स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, गांव व समाज में भय व्याप्त होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बदी का अभिभावक उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा कुआं में बोरिंग व बिजली कनेक्शन तथा पानी न लेने देने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.06.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

व तमन्चे से गोली मारकर गोपाल, हरिकृष्ण व कृष्णपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेश उर्फ लवेश पुत्र श्री वीर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी नरेश उर्फ लवेश (बन्दी संख्या-12037) पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी जनपद- बुलन्दशहर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-611/2025/1155(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-611/2025/1155/22-2-2023-17(1073)/2023

दिनांक 26 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश उर्फ लवेश पुत्र श्री वीर सिंह, जो-ख्वाजपुर, थाना-औरंगाबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। कुआ में बोरिंग व बिजली कनेक्शन तथा पानी न लेने देने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.06.2001 को बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार व तमन्चें से गोली मारकर गोपाल, हरिकृष्ण व कृष्णपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 1140/2002 में भा०द०वि० की धारा-148, 324/149, 457, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, बुलन्दशहर के आदेश दिनाक 22.08.2006 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.03.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.11.2022 तक 20 वर्ष, 05 माह, 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 04 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा जनपद स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, गांव व समाज में भय व्याप्त होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बदी का अभिभावक उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा कुआं में बोरिंग व बिजली कनेक्शन तथा पानी न लेने देने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.06.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार व तमन्चे से गोली मारकर गोपाल, हरिकृष्ण व कृष्णपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेश उर्फ लवेश पुत्र श्री वीर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in